Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 55-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 29, 2017 (CHAITRA 8, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2017

संख्या 7/आ०–1/पं०अ०1/1914/धा०59/2017.– पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 9/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 59/2016, दिनांक प्रथम अप्रैल, 2016 के प्रतिनिर्देश से मैं, श्यामल मिश्रा, आबकारी आयुक्त, हरियाणा वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

(2) ये प्रथम अप्रैल, 2017, से लागू होंगे।

2. हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, तालिका में,–

(क) शीर्ष ''1–विदेशी मदिरा'' के नीचे,–

(i) श्रेणी ''अनु0–1'' तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित श्रेणी तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3	4	5
''अनु0–1	परचूनिया (अनु0–2) को विदेशी मदिरा का थोक तथा खुदरा का अनु0–1 लाइसैंस प्रदान करने के लिए ऐसे आवेदन प्राप्त करने हेतु अन्तिम तिथि को यथा निर्धारित आवेदक लाईसैंसियों में से राजस्व अंशदान के आधार पर प्रदान किया जायेगा। जिले में लाईसैंसी को केवल एक ही अनु0–1 लाईसैंस की अनुमति दी जायेगी।	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर;''

(ख) श्रेणी ''अनु0–1ख च'' के स्थान पर, निम्नलिखित श्रेणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''अनु0–1ख च आयातित विदेशी मदिरा को थोक विक्रय तथा खुदरा ठेका द्वारा आयातित लाईसैंस रखने वाली फर्म/कम्पनी या व्यक्ति द्वारा अनु0– I, अनु0–4/अनु0–5, अनु0–12ग तथा अनु0–12ग ग को सप्लाई हेतु'';	ई–निविदा	कलक्टर	कलक्टर;''

(ग) श्रेणी अनु0–10ख के लिए, निम्नलिखित श्रेणी प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

''अनु0–10ख शहरों में शोपिंग मालों में डिपार्टमैन्टल स्टोरज/अनु0–2 अनुज्ञप्तिधारी को वाईन तथा भारतीय डिब्बाबन्द बीयर की थोक तथा खुदरा अनुज्ञप्ति।	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर;''

(घ) शीर्ष ''II–देसी स्पिरिट'' शीर्ष के नीचे, श्रेणी अनु0–13 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित श्रेणी तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3	4	5
''अनु0–13	परचूनिया (अनु0–14क) को देसी मदिरा का थोक तथा खुदरा का अनु0–13 लाइसैंस प्रदान करने के लिए ऐसे आवेदन प्राप्त करने हेतु अन्तिम तिथि को यथा निर्धारित आवेदक लाईसैंसियों में से राजस्व अंशदान के आधार पर प्रदान किया जायेगा। जिले में लाईसैंसी को केवल एक ही अनु0–13 लाईसैंस की अनुमति दी जायेगी।	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर;''।

3 उक्त नियमों में, नियम 24 में,–

(i) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(i) प्ररूप अनु0– I में अनुज्ञप्ति के लिए	₹1,25,00,000
''(i-क) प्ररूप अनु0–3 में अनुज्ञप्ति के लिए	₹ 25,000
''(i-कक) हरियाणा पर्यटन निगम के लिए प्ररूप अनु0–3 में अनुज्ञप्ति के लिए	₹ 1,00,000

(ii) खण्ड (i–ख ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(i–ख ख) प्ररूप अनु0–4/अनु0–5 में अनुज्ञप्तियों के लिए:–

(क) अनु0–4/अनु–5 अनुज्ञप्ति 5 स्टार ग्रेडिंग तथा से अधिक के होटलों को दी जाएगी: ₹ 40,00,000

परन्तु अनु0–4/अनु0–5 अनुज्ञप्तिधारी उभरते आवासीय नगर क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों में भी प्रदान की जाएगी जहां हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट पार्क विकसित किए हैं जैसे कि औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगर–क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर–क्षेत्र, रोहतक, औद्योगिक नगर पार्क मानेसर, टैक्नोलोजी पार्क, पंचकूला :

परन्तु यह और कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0–3) सहित, एक मुख्य बार तथा दो अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसी अनुज्ञप्तियां आगे रात–दिन के एक मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी। अनु0–3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओ तथा पेयों के साथ–साथ होटल कक्षों में रखे रेफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत है। अनु0–4/अनु0–5 अनुज्ञप्तिधारी बार 12.00 (मध्यरात्रि) बजे तक खुले रखे जा सकते है। बारों का समय आठ लाख रूपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर एक घन्टे तक बढाया जा सकता है। मदिरा का विक्रय जिसमें अनु04/अनु0–5 बाजार (बार) के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा शामिल है, 18 प्रतिशत की दर से वैट + वैट पर 5 प्रतिशत की दर से अधिशुल्क आकर्षित करेगा।

(ख) 4 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल ₹ 33,00,000 :

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0–3) सहित, एक मुख्य बार तथा दो अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को आगे रात–दिन के एक मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0–3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओ तथा पेयों के साथ–साथ होटल कक्षों में रखे रैफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

(ग) 3 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल ₹ 18,00,000 :

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, एक अतिरिक्त बिन्दु तथा कक्ष सर्विस (अनु0–3) सहित, एक मुख्य बार अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0–3 अनुज्ञप्ति वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खादय वस्तुओं तथा पेयो के साथ–साथ होटल कक्षों में रखे रैफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग (क), (ख) तथा (ग) के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को अपनी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 50 प्रतिशत के बराबर एक बार फीस (वन टाईम फीस) के भुगतान पर बैंकट हाल तथा मुख्य बार से भूमिगत लान, स्रोत सहित अपने परिलक्षित (पहचानित) तथा अनुमोदित हालों के तीन (03) तक में किए गए कार्यो, पार्टियों, आयोजनो तथा बैठकों में मदिरा परोसने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

अनु0–4 / अनु0–5 तथा अनु0–12 ग अनुज्ञप्तिधारियों को सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की अनुमति से केवल राज्य के बाहर से सीमाशुल्क–बन्धपत्र भाण्डागारण से सीधे रुप से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो एक सप्ताह में ऐसे अनुरोध का निपटान सुनिश्चित करेंगे। बार अनुज्ञप्तिधारी राज्य में अनु0–1 ख च से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) की अपनी आपूर्ति लेने के लिए भी अनुमत हैं। इसके अतिरिक्त, अनु0–1 ख च से भिन्न किसी अन्य स्रोत से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) प्राप्त करने वाले बार अनुज्ञप्तिधारी स्कोच, विस्की, रम, वोदका, जिन तथा ब्राण्डी के दशा में ₹60.00 प्रति प्रूफ लीटर की दर से परमिट फीस तथा बाईन लिक्युअर, बीयर और साईडर की दशा में ₹20/- प्रति बल्क लीटर की परमिट फीस का भुगतान करेगा। परमिट फीस के अतिरिक्त, निर्धारण फीस भारत में बनी विदेशी मदिरा (बीआईओ) पर उद्गृहीत की जाएगी जब राज्य के बाहर से सीधे रूप से आयातित की गई है। निर्धारण फीस बीयर, वाईन, लिक्युअर तथा साईडर पर ₹300.00 प्रति बल्क लीटर तथा स्कोच, बिस्की, रम, वोदका, जिन, ब्राण्डी इत्यादि पर ₹1200 / – प्रति प्रूफ लीटर की दर से बार अनुज्ञप्तिधारियों के हाथों से उद्गृहीत की जाएगी।

(घ) प्ररूप अनु04 / अनु0–5 में अनुज्ञप्ति के लिए,–

(क)	राजस्व जिला गुरूग्राम के लिए	₹ 15,00,000
(ख)	जिला फरीदाबाद के लिए	₹ 12,00,000
(ग)	गुरूग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य के सभी अन्य जिले	₹ 9,00,000''
(घ)	हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संचालित बार (बारों) के लिए	₹1,50,00,000 की प्रशमन फीस
(ड.)	हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा उनके जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में संचालित बार	₹ 75,00,000 की प्रशमन फीस''

(iii) (क) खण्ड (ii) में, ''₹ 30,00,000'' अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''₹ 50,00,000'' अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) खण्ड (ii-क) ''₹ 25,00,000'' अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''₹ 40,00,000'' अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ग) खण्ड (ii-ख) ''₹ 50,00,000'' अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''₹ 75,00,000'' अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'';

(घ) विद्यमान खण्ड (ii-ख) में,''विशेषाधिकार फीस'' शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियॉ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

''विशेषाधिकार फीस

भारत में बनी विदेशी स्पिरिट	₹ 16.00 प्रति प्रूफ लीटर
बीयर	₹ 12.00 प्रति बल्क लीटर

(iv) खण्ड (ii–ख) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा:–

'' परन्तु हरियाणा राज्य में बाटलिंग प्लांट की स्थापना करने के लिए आवेदक से आशय पत्र प्राप्त किया जाएगा। आशय पत्र एक वर्ष की वैध अवधि सहित कतिपय निबन्धनों तथा शर्तो सहित जारी किया जाएगा। यह सरकार की अनुमति से जारी किया जाएगा तथा प्रथम बार के लिए आशय पत्र प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष फीस ₹ बीस लाख होगी। एक वर्ष के प्रथम विस्तार के लिए आशय पत्र की पुनः वैधीकरण के लिए फीस आशय पत्र देने के लिए फीस की दर समान होगी तथा एक वर्ष के प्रत्येक पश्चातवर्ती विस्तार के लिए पुनः वैधीकरण फीस पूर्व वर्ष की फीस की 125 प्रतिशत होगी। आश्य पत्र के पुनः वैधीकरण के लिए फीस जहां पहले आश्य पत्र या इसके पुनः वैधीकरण के लिए कोई भी फीस प्रभारित नहीं की गई थी वहां ₹ बीस लाख तथा पश्चातवर्ती पुनः वैधीकरण पूर्व वर्ष की फीस के 125 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी।''।

(v) खण्ड (ii–ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(ii–ग) आई एम एफ एस पर बाटलिंग फीस निम्न अनुसार उदगृहीत की जाएगी:–

(क)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग डी–2 अनुज्ञप्ति के लिए	₹10.00 / – प्रति प्रूफ लीटर
(ख)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग प्लाटं बाटलिगं के लिए	₹14.00 / – प्रति प्रूफ लीटर
(ग)	उपरोक्त (क) तथा (ख) में न आने वाले ब्राण्ड की बाटलिगं के लिए तथा जहॉ फ्रेन्चाईज फीस उदगृहीत नही होती	₹16.00 / – प्रति प्रूफ लीटर
(घ)	ब्रुअरज के द्वारा बीयर के बाटलिगं के लिए	₹ 5.00 / – प्रति बल्क लीटर

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उद्गृहणीय होगी, यदि कोई भी विशेषाधिकार (फ्रेन्चाईज) फीस उद्गृहीत नहीं की गई है।'';

(vi) खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(iii) प्ररूप अनु0–12 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹1,0.00'','’

(vii) खण्ड (iv–ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(iv-ख) प्ररूप अनु0–12ग में अनुज्ञप्ति के लिए,–

(क) राजस्व जिला गुरूग्राम के लिए	₹15,00,000
(ख) जिला फरीदाबाद के लिए	₹12,00,000
(ग) गुरूग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य के सभी अन्य जिले	₹9,00,000

(viii) खण्ड (iv-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

(iv-ग) प्ररूप अनु0–12 ग ग में अनुज्ञप्ति के लिए,–

3 स्थलों सहित पूर्ण रूप से गोल्फ कल्ब के लिए अनु0–12 ग ग हेतु फीस ₹25,00,000

गोल्फ कल्ब को बार चलाने के लिए अनु0–12 ग ग में लाईसैंस लेना पडेगा। उन्हें किसी भी होटल या किसी भी प्रकार के बार लाईसैंस के साथ अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पण 1 पहले से ही अनुज्ञात उपरोक्त दिए गए स्थल के अलावा प्रत्यके ऐसे स्थल के लिए वार्षिक लाईसैंस फीस की 15 प्रतिशत फीस के समान अदायगी पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा प्रति लाईसैंस अधिकतम तीन अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पण 2 हरियाणा पर्यटन तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा उनके अपने जिमखाना तथा गोल्फ कल्ब में बार चलाने की दशा में, उन्हें ऐसे प्रत्येक स्थल के लिए एक लाख रूपये की अतिरिक्त फीस पर चलाने की अनुमति दी जाएगी।''।

(ix) खण्ड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(v) (i) देसी मदिरा (अनु0–13) के थोक बाजार के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस जिले में ₹20.00 लाख रुपये प्रति बाजार होगी। अनुज्ञप्तिधारी से जिले में ₹5.00 लाख प्रति अनु0–13 की वापसीयोग्य प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी।

(ii) अनु0–13 अनुज्ञप्तिधारी अपने खुदरा ठेकों के जोन के कमाण्ड क्षेत्रो के भीतर अपना ठेका स्थापित करेगा। यदि कोई भी उपयुक्त भण्डारण स्थल कमाण्ड क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, तो इस शर्त में छूट कलक्टर (आबकारी) की पूर्व अनुज्ञा से दी जाएगी।'';

(x) खण्ड (i–ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(i–ग) प्ररूप अनु0–1 क ख में अनुज्ञप्ति के लिए ₹50,00,000;'';

(xi) खण्ड (i–ड़) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(i–ड़) प्ररूप अनु0–1 ख में अनुज्ञप्ति के लिए ₹30,00,000;'';

(xii) खण्ड (i–ड़ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(i–ड़ड़) (क) ब्रुअर को प्ररूप अनु0–1ख1 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹30,00,000;''

(ख) वाईन निर्माता को प्ररूप अनु0–1ख1 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹20,00,000;'';

(xiii) खण्ड (i–ड़ड़ड़) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(i– ड़ड़ड़) प्ररूप अनु0–1ख1–क में अनुज्ञप्ति के लिए (पीने के लिए तैयार पेय) ₹30,00,000;'';

(xiv) खण्ड (i–ड़ड़ड़ड़) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(i–ड़ड़ड़ड़) प्ररूप अनु0–1खच में अनुज्ञप्ति के लिए,–

(क) रिजर्व कीमत ₹50,00,00,000/– होगी

(ख) उच्चतम बोली दाता को ई. निविदा के माध्यम से प्ररूप अनु0–1खच में लाईसैंस आबंटित किया जायेगा।

(ग) राज्य में केवल एक ही अनु0–1खच लाईसैंस होगा

(घ) यदि अकेले अनु0–1खच लाईसैंस के लिए रिजर्व कीमत के समान या उससे अधिक कोई भी पात्र निविदा प्राप्त नही होती है, तो उसे सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निबंधनों तथा शर्तों पर पूर्ण रूप से सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन संस्था को आबंटित किया जायेगा। अनु0–1खच लाईसैंसी के द्वारा मदिरा का स्टॉक उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित परमिट फीस तथा ब्रांड लेबल फीस उद्गृहीत की जाएगी

परमिट फीस

(क)	स्कोच, विस्की, रम, वोदका, जिन, ब्राण्डी इत्यादि	₹ 60/– प्रति प्रूफ लीटर
(ख)	वाईन, लिक्अर, बीयर तथा साईडर	₹ 20/– प्रति बल्क लीटर

ब्राण्ड लेबल फीस

(क)	स्कोच/विस्की	₹ 60,000 प्रति ब्रांड
(ख)	बीयर	₹ 50,000 प्रति ब्रांड
(ग)	रम/वोदका/वाईन	₹ 25,000 प्रति ब्रांड
(घ)	जिन/ब्राण्डी साईडर/ चैम्पेजन/लिक्अर	₹ 15,000 प्रति ब्रांड'';

(xv) खण्ड (i–छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

	''(i–छ) प्ररुप अनु0–1–ग में अनुज्ञप्ति के लिए	प्रत्येक के सामने नीचे दी गई दरों पर वार्षिक फीस
(i)	विस्की/स्कोच	₹ 85,000 प्रति ब्राण्ड
(ii)	बीयर	₹ 65,000 प्रति ब्राण्ड
(iii)	रम	₹ 45,000 प्रति ब्राण्ड
(iv)	जिन/वोदका	₹ 30,000 प्रति ब्राण्ड
(v)	वाईन/ब्राण्डी/साईडर/चैम्पेजन	₹ 20,000 प्रति ब्राण्ड
(vi)	सीएसडी की आपूर्ति के लिए वोदका/ब्राण्डी/ साईडर/वाईन तथा चैम्पेजन	₹ 10,000 प्रति ब्राण्ड
(vii)	देसी मदिरा	₹ 85,000 प्रति ब्राण्ड
(viii)	पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी)	₹ 75,000 प्रति ब्राण्ड
(ix)	राज्य से बाहर निर्यात के लिए ब्रांड लेबल फीस (सभी प्रकार के ब्रांडों के लिए)	₹ 50,000 प्रति ब्राण्डः

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उद्ग्रहणीय होगी, यदि कोई भी विशेषाधिकार (फ्रेन्चाईज) फीस उद्गृहीत नहीं की गई है।''।

4. उक्त नियमों में, नियम 27 में, खण्ड (i) में,–

''10,000/– रुपए'' अंकों, चिह्न तथा शब्द के स्थान पर, ''₹ 25,000'' अंक, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किये जायेंगे

5. उक्त नियमों में, नियम 27–क में,–

(i) उप–नियम (1) में , खण्ड (iii) तथा (iv)के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:–

''(iii)	(क)	शापिंग माल में स्थित अनु0–2 लाईसैंसी द्वारा प्राप्त प्ररूप अनु0–10ख में लाईसैंस के लिए फीस	₹ 7,50,000
	(ख)	शापिंग माल में डिपार्टमैन्टल स्टोर में स्थित प्ररूप अनु0–10ख में लाईसैंस के लिए फीस	₹ 15,00,000

(iv) प्ररूप अनु0–10ग में लाईसैंस के लिए ₹ 10,00,000

(v) प्ररूप अनु0–10घ में लाईसैंस के लिएं ₹ 6,00,000'' ।

6. उक्त नियमों में, नियम 31क में, ''200'' अंको के स्थान पर, ''300'' अंक प्रतिस्थपित किये जाएंगे।

7. उक्त नियमों में, नियम 36–क में,–

(i) ठेकों/समूह ठेकों शब्द जहाँ भी आएं के स्थान पर, ''ठेकों का जोन'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ii) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(1)देसी मदिरा और भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा बाजारों का आबंटन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ई–निविदा के माध्यम से ग्रुप जोनों में किया जाएगा। कमाण्ड क्षेत्र जोन आबकारी व्यवस्था में जोन के लिए भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। जोन के लिए कमाण्ड क्षेत्र में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र दोनो शामिल होगें। अनुज्ञप्तिधारी ठेका के किस्म अर्थात् केवल देसी मदिरा या केवल भारत में निर्मित विदेशी मदिरा या दोनों देसी मदिरा और भारत में बनी विदेशी मदिरा का निर्णय करने के लिए सुगमता होगी। कुल सीमा छह खुदरा ठेकों की होगी और जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पूर्व अनुमोदन से जोन के कमाण्ड क्षेत्र में अपना ठेका किसी स्थल पर स्थापित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी देसी मदिरा/भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, जैसी भी स्थित हो, के लिए प्रत्येक व्यैक्तिक ठेके हेतु भी अनुपातिक कोटे का निर्णय करेगा। आबंटन की प्रक्रिया सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) सहित उपायुक्त इसके सदस्य के रूप में से मिलकर बनने वाली समिति भागीदारों की उपस्थिति में जो विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली ई–निविदाओं के मूल्यांकन की तिथि पर उपस्थित होने के इच्छुक हो द्वारा संचालित की जायेगी। ठेकों के जोन का आबंटन ई–निविदाएं आमन्त्रित करते हुए किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में, पुनः आबंटन की प्रक्रिया तुरन्त विज्ञापन के माध्यम से ई–निविदाएं आमन्त्रित करते हुए प्रारम्भ की जायेगी। पुनः आबंटन के लिए आरक्षित मूल्य शेष अवधि जिसके लिए ठेकों का जोन मूल अनुज्ञप्ति फीस का उपयोग करते हुए पुनः आबंटित किया जाना है, के लिए अनुपातिक रूप में संगणित किया जाएगा। यदि कोई भी ई–निविदा प्राप्त नहीं हुई तो आरक्षित मूल्य, उपर वर्णित मूल आरक्षित मूल्य का दस प्रतिशत या पचास लाख रूपये जो भी कम हो से घटाते हुए होगा और आमन्त्रित ई–निविदा की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी जब तक ठेकों के जोन का पुनः आबंटन नही हो जाता है। यह पुनः आंबटन मूल अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम और लागत पर किया जाएगा।

(iii) उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(4)प्रत्येक बोलीदाता को उसकी बोली के साथ अग्रिम धन देना होगा। अग्रिम धन केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में भुगतानयोग्य होगा। बैंक ड्राफ्ट आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा, पचंकूला के पक्ष में भुगतानयोग्य होगा। अग्रिम धन की राशि निम्न अनुसार होगीः–

क्रम सख्यां	जोन का आरक्षित मूल्य	अग्रिम धन
1	2	3
(i)	₹5 करोड़ से कम	₹20 लाख
(ii)	₹5 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹10 करोड़ से कम	₹40 लाख
(iii)	₹10 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹25 करोड़ से कम	₹60 लाख
(iv)	₹25 करोड़ तथा अधिक	₹80 लाख

(iv) उप–नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(5) बोलीदाता को प्रत्येक जोन के लिए ₹60,000 की भागीदारी फीस जमा करानी होगी। भागीदारी फीस वापसी योग्य नहीं है तथा समायोजनयोग्य नहीं है। भागीदारी फीस उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पक्ष में या तो नकदी में या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में जमा की जाएगी।

(v) उप–नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(8) ठेकों के जोन का जिला–वार आबकारी व्यवस्था प्रथम निविदा प्रक्रिया के दौरान आबंटन की तिथि के पूर्व दिन को सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ0), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर), संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (रेंज) के कार्यालयों में तथा इसके साथ–साथ विभाग की वैब साईट www.haryanatax.gov.in. पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि एक से अधिक निविदा आमन्त्रित करने की आवश्यकता पडी तो निर्धारित समय से पूर्व जोन वार निविदा की आबकारी व्यवस्था को प्रदर्शित करना पर्याप्त होगा।''।

(vi) उप–नियम (17) में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

''लाईसैंसी को अपना कोटा देसी मदिरा के लिए ₹3 प्रति प्रुफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लिए ₹6 प्रति प्रूफ लीटर अन्तरण फीस अदा करने के बाद अन्तरण अनुज्ञात किया जाएगा जो कोटा अंतरण के लिए लाईसैंसी के अनुरोध पर अन्तरण करने वाले लाईसैंसी के द्वारा अदा की जाएगी।

(vii) उप–नियम (19) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(19) कोई भी व्यक्ति जिसको खुदरा मदिरा बाजार के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसे परिसरों में उसे स्थापित नही करेगा जो मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अडडे् तथा पूजा के स्थान के मुख्य दरवाजे से कम से कम 150 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तथापि् आबकारी आयुक्त उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त की सिफारिश पर 150 मीटर से 75 मीटर के लिए खुदरा मदिरा बाजार की अवस्थिति के लिए ऐसी दूरी में छूट दे सकता है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में, खुदरा मदिरा बाजार मार्किट स्थानों में अवस्थित होंगे। तथापि, यह उपबन्ध ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जहां नया मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डा या पूजा का स्थान वर्ष 2017–18 में ठेके की स्थापना के पश्चातवर्ती वर्ष की चालू रहने के दौरान 150 मीटर के दूरी में आते हैं।''।

(viii) उप–नियम (21) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(21) प्राकृतिक आपदा जैसे कि अग्नि, बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि के कारण या दंगों के कारण या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा निवारक बन्दी के परिणामस्वरूप या किसी न्यायालय द्वारा दी गई विशिष्ट राहत से अधिक किसी छूट के परिणाम स्वरूप अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति या राहत अनुज्ञेय नहीं होगी।''।

(ix) उप–नियम (22) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(22) आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र, हरियाणा पर्यटन निगम/शहरी स्थानीय निकायों की भूमि में संभावित उच्च राजस्व रखने वाले ठेकों की स्थापना के लिए कुछ स्थान मुहैया कराएगा। तथापि, सम्बन्धित विभाग द्वारा यथा निर्धारित उसको किराया लाइसैंसी द्वारा विभाग को अदा किया जायेगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के द्वारा मोनिटर किया जायेगा और तिमाही आधार पर इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। तथापि, हरियाणा पर्यटक कम्पलैक्सों की दशा में केवल अनु0–2 ठेके अनुज्ञात होंगे। पर्यटक कम्पलैक्सों में अनु0–2 के साथ कोई अनुमत कक्ष नहीं खोला जाएगा।

(x) उप–नियम (24) से (27) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:–

''(24) शहरी क्षेत्रों की पाश मार्किट या शापिंग मॉलों में भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0–2) के कुछ खुदरा ठेकों को पहचाना जाएगा तथा आधुनिक दुकानों के रूप में आबंटित किए जाने है। आधुनिक दुकानों को क्षेत्र के ग्राहक–गण तथा सम्भावना को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पहचाना जाएगा। आधुनिक दुकानों में भारतीय विदेशी मदिरा (बोआईओ) के लिए पृथक वर्ग होगा। आधुनिक दुकानें किसी अतिरिक्त आबकारी शुल्क के बिना अर्थात् आबकारी शुल्क की दर पर जो मूल कोटे अर्थात् 50 प्रतिशत अतिरिक्त कोटे के स्लैब को लागू है, अपने मूल कोटे के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटे को उठाने के लिए हकदार होगाः

परन्तु मशीन द्वारा तैयार बिल का प्रोविजन सभी खुदरा लाईसैंसियों के लिए बिल जारी करने के लिए आवश्यक होगा जहॉ ₹1000 से अधिक मदिरा की बिक्री होती है। यदि ₹1000 से कम मदिरा की बिक्री होगी तो खरीददार के मांगने पर लाईसैंसी द्वारा बिल जारी किया जायेगा। इस प्रोविजन की उल्लंघना की दशा में, सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ0) के जॉच करने के बाद प्रत्येक केस पर ₹500 की शास्ति लाईसैंसी पर लगायी जायेगी। आगे उपबन्धित किया जाता है कि यदि ₹ 2 करोड के बराबर या अधिक की अनुज्ञप्ति फीस वाले शहरी क्षेत्र का कोई अनु0–2 अनुज्ञप्तिधारी ठेके के आबंटन के बाद आधुनिक दुकान में अपने ठेके को बदलना चाहता है, तो उसे विभाग के अनुमोदन से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। ऐसे आवेदनों को जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (विक्रय कर) तथा दो वरिष्ठतम आबकारी तथा कराधान अधिकारियों से मिलकर बनी (समिति) द्वारा परीक्षित किया जाएगा तथा अनुमोदन के लिए विचारा जाएगा।

(25) खुदरा ठेकों के जोन के प्रत्येक सफल आबंटिती के लिए जोन के ठेकों की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 21 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी, जिसमें से अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत ई–बोली के मुल्यांकन के दिन को; अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत आबंटन के दिन के सात दिन के भीतर या 31 मार्च को या से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी; तथा अनुज्ञप्ति फीस के 11 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 7 अप्रैल, 2017 तक जमा कराई जाएगी। उसके बोली धन का 82 प्रतिशत उसके बोली धन के 8.2 प्रतिशत की दस बराबर मासिक किश्तों में उस द्वारा भुगतानयोग्य होगा; जो कि

ठेके/समूह ठेकों के उसके प्रचालन के प्रारम्भ के मास से शुरू होने वाले प्रत्येक मास की 20 तारीख तक तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती मास तक भुगतान योग्य होगा। भुगतान मासिक किस्तों के रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 82 प्रतिशत की सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने तक निरन्तर जारी रहेगा। उसकी प्रतिभूति का भाग, उसके बोली धन के 18 प्रतिशत के बराबर, उसके बोली धन के 82 प्रतिशत तक की राशि की किस्तों के भुगतान के बाद उसकी अनुज्ञप्ति फीस की ओर अन्त में समायोजित किया जायेगा। समायोजन उसकी बोली धन के 9 प्रतिशत की प्रत्येक, दो बराबर किस्तों में दो मास की अवधि में किया जाएगा।

(26) उसके बोली धन के 3 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 15 अप्रैल, 2018 तक उसकी ओर बकाया था असंदत पाई गई किसी राशि को समायोजन करने के बाद वापस की जाएगी। यह राशि जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा वापस की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा। यदि आबंटिती/अनुज्ञप्तिधारी विहित समय में प्रतिभूति का सम्पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द हो जाएगी तथा जमा प्रतिभूति, यदि कोई हो, जब्त हो जाएगी। किन्हीं दस किस्तों के भुगतान के लिए विहित समय का पालन करने में असफलता की दशा में, देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक चूक के मास के प्रथम दिन से प्रभारित किया जाएगा।

(27) जोन के ठेकों की दशा में जो वित्तीय वर्ष के चालू रहने के दौरान आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली धन के 11 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति आबंटन के तिथि के दस दिन के भीतर जमा की जाएगी। ठेकों का जोन आबंटन/पुनः आबंटन की आगामी तिथि से प्रचालन में आएगा। मास जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है के लिए अनुज्ञप्ति फीस, उस मास के शेष दिनो के अनुपात में, मास की समाप्ति तक भुगतानयोग्य होगी। अनुज्ञप्ति फीस के 82 प्रतिशत में से शेष राशि बराबर मासिक किस्तो में जनवरी तक भुगतानयोग्य होगी, उसके बाद, उसकी प्रतिभूति अन्य आबंटनों के मामले में समायोजित की जाएगी।

यदि आबंटन या पुनः आबंटन दिसम्बर, 2017 के बाद किया जाता है तो उसके बोली धन का 82 प्रतिशत मास की अन्तिम तिथि तक वसूल किया जाएगा जिसमे आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है। आबंटन/पुनः आबंटन के मास के लिए किस्त को, पूर्ण मास के रूप में संगणित समझा जाएगा।

यदि आबंटन/पुनः आबंटन 20 से पूर्व किया जाता है तो भुगतान की तिथि 20 होगी या यदि आबंटन 20 को या बाद में किया जाता है, तो भुगतान मास के अन्तिम दिन को होगा। कोई भी ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा।''।

(8) उक्त नियमों में, नियम 37 में, उप नियम (32) में, खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(iv) देशी मदिरा के लिए ₹ 6.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडो के लिए ₹12.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹10 प्रति बल्क लीटर की दर से स्टॉक अन्तरण फीस उदगृहीत की जाएगी।''।

(9) उक्त नियमों में, नियम 38 में, उप नियम (16क) में,–

(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(क) ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए जोन के कमाण्ड एरिया में 2.5 किलो मीटर के दायरे में किसी दूसरे लाईसैंसी के नये ठेके या उप–ठेके के पास ठेका अवस्थित नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों के लिए, प्रत्येक जोन में दो उप–ठेके तक उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त(आ0) की पूर्वानुमति के अध्यधीन अनुज्ञात किये जायेगें। अधिमानतः उप ठेका गॉवं की फिरनी में अवस्थित होगा।

(ii) खण्ड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

(कक)मदिरा बेचने के लिए किसी दूकान को कोई लाईसैंस प्रदान नहीं किया जाएगा अर्थात्–

(i) राष्ट्रीय राज मार्ग या राज्य राज मार्ग से दिखाई देने वाला;

(ii) राष्ट्रीय राज मार्ग या राज्य राज मार्ग से स्पष्ट तौर पर दिखाई देने वाला; तथा

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग या ऐसे राज मार्गों के साथ लगने वाली सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित होंगे।

उक्त उपबंधों की माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर सिविल अपील नं0 12168 ऑफ 2016 की अनुपालना की जायेगी तथा निर्देशों को प्रभावी रूप दिया जाएगा।

मदिरा ठेके जो राष्ट्रीय /राज्य राजमार्गों या ऐसे राजमार्गों के साथ–साथ चलने वाली सर्विस लेनों पर स्थित नहीं है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का 41) या किसी अन्य लागू विधि के उपबन्धों का अनुपालन करेगें।

टिप्पणः– उपरोक्त नियत निबन्धनों की कडी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध जिले के उप आबकारी व कराधान आयुक्त (आ0) की जिम्मेवारी होगी।''।

(ii) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(छ) (क) उप–ठेका खोलने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी को नीचे वर्णित पैरा (ड.) के अनुसार के सिवाय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति उप–ठेके ₹1,25,000/–की नियत वार्षिक फीस के भुगतान पर प्ररुप अनु0–14क, अनु0–2/एसवी में अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। शहरी क्षेत्रों में उप–ठेके प्रत्येक उप–ठेके लिए ₹10,00,000 की नियत लाईसैंस फीस अदा करने पर अनुज्ञात किया जायेगा। उप–ठेके ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में जोन के कमाण्ड एरिया में अनुज्ञात किए जायेंगे। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की पूर्वानुमति के अध्यधीन शहरी क्षेत्रों में दो उप ठेकें तक ही अनुज्ञात किए जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में उप ठेकों के लिए नीचे वर्णित पैरा (ख), (ग) (घ) तथा (ड़) के अनुसार उपबन्ध लागू होंगे।

(ख) उप–ठेके 1000 (2011 की जनगण्ना के अनुसार) से अधिक की जनसंख्या की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे;

(ग) 1000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से कम की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के लिए उप–ठेके, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की सिफारिश पर कलक्टर (आबकारी) द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति से अनुज्ञात किए जाएंगे;

(घ) उप–ठेका उस ग्राम पंचायत में अनुज्ञात किया जाएगा जहां मुख्य ठेका अवस्थित हैं, यदि ऐसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक है; तथा

(ड.) 2000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में अवस्थित उप–ठेके के लिए फीस ₹50,000/– प्रति उप–ठेका होगी।''।

श्यामल मिश्रा,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,
हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th March, 2017

No. 7/X-I/P.A. 1/1914/S.59/2017.— In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and with reference to the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 9/X-l/P.A.1/1914/S.59/2016, dated the 1st April, 2016, I, Shyamal Misra, Excise Commissioner, Haryana exercising the powers of Financial Commissioner hereby make the following rules further to amend the Haryana Liquor License Rules, 1970, namely :-

1. (1) These rules may be called the Haryana Liquor License (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2017.

2. In the Haryana Liquor License Rules, 1970 (hereinafter called the said rules) in rule 2, in the table,-

(a) under heading "1-Foreign Liquor",-

(i) for class "L-1" and entries thereagainst, the following class and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

1	2	3	4	5
"L-1	Wholesale and retail vend of foreign liquor to the retailers (L-2) shall be granted on the basis of revenue contribution amongst the applicant licensee and determined on the last date for receiving such applications for grant of L-1 license. A licensee shall be allowed only one L-1 license in a district.	Fixed fee	Collector	Collector";

(b) for class L-1BF, the following class shall be substituted, namely:-

"L-1BF	Wholesale and retail vend of Imported Foreign Liquor to Firms/Companies or persons having Import License for supply to L-1, L-4/L-5, L-12C and L-12CC";	e-bidding	Collector	Collector";

(c) for class L-10B, the following class shall be substituted namely:-

" L-10B	Wholesale and retail license of wine and Indian Canned Beer to the departmental Stores/L-2 licensee in the shopping malls in cities.	Fixed Fee	Collector	Collector";

(d) under heading " II-Country Spirit-", for class "L-13" and entries thereagainst, the following class and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

1	**2**	**3**	**4**	**5**
"L-13	Wholesale and retail vend of country liquor to the retailers (L-14A) shall be granted on the basis of revenue contribution amongst the applicant licensee and determined on the last date for receiving such applications for grant of L-13 license. A licensee shall be allowed only one L-13 license in a district.	Fixed fee	Collector	Collector";

3. In the said rules, in rule 24,-

(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) for a license in form L-1	₹ 1,25,00,000
"(i-a) for a license in form L-3	₹ 25,000
(i-aa) for a license in form L-3 for Haryana Tourism Corporation;	₹ 1,00,000

(ii) for clause (i-bb), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i-bb) for licenses in form L-4/L-5:-

(a) L-4/L-5 licenses granted to the hotels of 5 Star grading and above:	₹ 40,00,000

Provided that L-4/L-5 licensees shall also be granted in emerging residential townships and such places where Haryana State Industrial Development Corporation has developed Industrial Model Townships and Theme/Specialized Parks like Industrial Model Townships, Manesar, Industrial Model Townships, Bawal, Industrial Model Townships, Rohtak, Industrial Town Park Manesar, Technology Park, Panchkula:

Provided further that such licensees shall be allowed one main bar and two additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock.

By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages. L-4/L-5 licensee bars can remain open upto 12.00 hours (Midnight). The timings of bars can be extended by one hour on payment of additional annual fee of Rs. 8 Lakh. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-4/ L-5 outlets (bars) shall attract VAT @ 18 % + surcharge
@ Rs. 5% on VAT.

(a) Hotels having grading of 4 Star ₹ 33,00,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar and two additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages.

(b) Hotels having grading of 3 Star ₹ 18,00,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar, alongwith one additional point and room service (L-3), without any further fee. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages.

Provided further that such licensee of category (a), (b) and (c) mentioned above shall also be allowed to serve liquor in functions, parties, events and meetings, held in upto three (03) of their identified and approved halls including banquet halls and ground floor lawns, sourced from the main bar, on payment of a one - time fee equal to 50% of his annual license fee.

The L-4/L-5 and L-12C licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) directly from Custom Bonded Warehouses, only from outside the State with the permission Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district concerned who shall ensure disposal of such a request within a week. The bar licensees are also allowed to take their supplies of Imported Foreign Liquor (BIO) from L-1BF in the State. Further, the bar licensees procuring Imported Foreign Liquor (BIO) from any other source other than L-1BF shall pay a permit fee at the rate of ₹ 60.00 per Proof Litre in case of Scotch, Whisky, Rum, Vodka, Gin and Brandy and a permit fee of ₹ 20/- per bulk litre in case of wine, liquor, beer and cider. In addition to the permit fee, an assessment fee will be levied on India Made Foreign Liquor (BIO) when imported directly from outside the State. The assessment fee shall be levied at the hands of bar licensees at the rate of ₹ 300.00 per Bulk Litre on beer, wine, Liqueur and cider for scotch, whisky, rum, vodka, gin, brandy etc. shall be ₹ 1200/- per proof litre.

(d) For a license in form L-4/L-5,-

(a)	for revenue district Gurugram	₹ 15,00,000
(b)	for district Faridabad	₹ 12,00,000
(c)	All other districts in the State Except Gurugram and Faridabad.	₹ 9,00,000
(d)	for Bar(s) operated by Haryana Tourism Corporation.	A composite fee of ₹ 1,50,00,000
(e)	Bars operated by Haryana Urban Development Authority in their Gymkhana and Golf Clubs	A composite fee of ₹ 75,00,000

(iii) (a) in clause (ii), for the figure and sign “30,00,000”, the figure and sign “50,00,000” shall be substituted;

(b) in clause (ii-a), for the figure and sign “25,00,000”, the figure and sign “40,00,000” shall be substituted;

(c) in clause (ii-b), for the figure and sign “50,00,000”, the figure and sign “75,00,000” shall be substituted;

(d) in clause (ii-b), for heading “Franchise Fee” and entries thereunder, the following heading and entries thereunder shall be substituted, namely:-

“Franchise Fee

Indian Made Foreign Spirit	16.00 per proof litre
Beer	12.00 per bulk litre”;

(iv) after clause (ii-b), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that a letter of intent shall be obtained by the applicant for setting up a bottling plant in the State of Haryana. The letter of intent shall be issued with certain terms and conditions with a specified period of validity. It shall be issued with the permission of the Government and a fee per annum for grant and renewal of letter of intent shall be Rs. 20 lakh. Fee for revalidation of letter of intent for the first extension of one year

shall be at the rate equal to the fee for grant of letter of intent and for each subsequent extension of one year, the revalidation fee shall be 125% by the previous year's fee. The fee for revalidation of letter of intent where previously no fee for letter of intent or its revalidation was charged shall be charged @ ₹ 20 lakh and subsequent revalidation shall be 125% of the previous year's fee".

(v) for clause (ii-c), the following clause shall be substituted, namely : -

"(ii-c) The bottling fee on Indian Made Foreign Spirit shall be levied as under: -

(a)	for D-2 licenses bottling their own brands	₹ 10.00/- per Proof Litre
(b)	for bottling plants bottling their own brands	₹ 14.00/-per Proof Litre
(c)	for bottling of brands not covered in (a) and (b) above and where no franchise fee is levied	₹ 16.00/- per Proof Litre
(d)	for bottling of beer by the brewers	₹ 5.00/- per Bulk Litre

Provided that bottling fee shall be leviable on liquor for export as well as on liquor on local consumption, if no franchise fee is levied.

(vi) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely : -

"(iii) For a license in form L-12 ₹ 1,000".

(vii) for clause (iv-b), the following clauses shall be substituted, namely :-

"(iv-b) for a license in form L-12C,-

(a)	for revenue district Gurugram	₹ 15,00,000/-
(b)	for district Faridabad	₹ 12,00,000/-
(c)	All other district in the State	₹ 9,00,000/-".

except Gurugram and Faridabad

(viii) for clause (iv-c) and entries theiragainst the following clause and entries theiragainst shall be substituted namely:-

"(iv-c) for a license in form L-12CC,-

Fee for L-12CC exclusively for Golf Clubs with 03 points. ₹ 25,00,000/-

Golf Club shall have to obtain a license in form of L-12G to operate bars.

They shall not be permitted as an additional point attached to any hotel or

any type of bar license.

Note 1.-Any additional point above the points already allowed, shall be allowed on payment of a fee equal to 15 % of the annual license fee for each such point and maximum number of three additional points per license shall be allowed.

Note 2.- In case of bars operated by Haryana Tourism and Haryana Urban Development Authority in their Gymkhana and Golf Clubs. They shall be allowed additional point on payment of a fee equal to ₹ 1 lakh for each such point.

(ix) for clause (v) and entries theiragainst, the following clause shall be substituted, namely :-

"(v) (i) The annual license fee for the wholesale outlets of country liquor (L-13) shall be ₹ 20.00 lakh per outlet in the district. The licensee shall be required to deposit a refundable security amount of ₹ 5.00 lakh per L-13 outlet in the district.

(ii) The L-13 licensee shall establish his vend within the command area of his zone of vends. In case no suitable storage point is available in the command area, this condition shall be relaxed with the prior permission of the Collector (Excise).".

(x) for clause (i-c) and entries thereagainst, the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i-c) for a license in form L-1AB ₹ 50,00,000;"

(xi) for clause (i-e) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"(i-e) for a license in form L-1B ₹ 30,00,000;"

(xii) for clause (i-ee) and entries there against, the following clause and entries there against shall be substituted, namely:-

"(i-ee) (a) for a license in form L-1B1 to a brewer ₹ 30,00,000;"

(b) for a license in form L-1B1 to wine manfacture ₹ 20,00,000;"

(xiii) for clause (i-eee) and entries thereagainst, the following clause and entries there against shall be substituted, namely:-

"(i-eee) for a license in form L-1B1-A ₹ 30,00,000;"
(Ready to drink beverages)

(xiv) for clause (i-eeee), the following clause shall be substituted, namely : -

" (i-eeee) For a license in form L-1BF. –

(a) Reserve prise shall be ₹ 50,00,00,000/-

(b) The license in form L-1BF shall be allotted through e-biding to the highest bidder

(c) There shall be only one L-1BF license in the State

(d) In case no eligible bid equal to or above the reserve price is received for the lone L-1BF license, the same shall be allotted exclusively to a Government owned entity on the terms and conditions as decided by the Government. The permit and brand label fee shall be levied as under to procure Stock of liquor by the L-1BF licensee

PERMIT FEE

(a) Scotch, Whisky, Rum, Vodka, Gin, Brandy etc.	₹ 60 per Proof litre
(b) Wine, Liquor, Beer and Cider	₹ 20 per Bulk litre

Brand Level Fee

(a) Scotch/Whisky,	₹ 60,000 per brand
(b) Beer	₹ 50,000 per brand
(c) Rum/Vodka/Wine	₹ 25,000 per brand
(d) Gin/Brandy Cider/Champagne/Liquor	₹ 15,000 per brand.";

(xv) for clause (i-g), the following clause shall be substituted, namely :-

"(i-g) For a license in form L-l-C Annual fee at the rates given below against each :-

(I)	Whisky/ Scotch	₹ 85,000 per brand
(II)	Beer	₹ 65,000 per brand
(III)	Rum	₹ 45,000 per brand
(IV)	Gin/Vodka	₹ 30,000 per brand
(V)	Wine/Brandy/Cider/Champagne	₹ 20,000 per brand
(VI)	Vodka/Brandy/Cider/Wine and Champagne for suppjy to CSD	₹ 10,000 per brand
(VII)	Country Liquor	₹ 85,000 per brand
(VIII)	Ready to Drink Beverages (RTB)	₹ 75,000 per brand
(IX)	Brand label fee for exports out of State (for all types of brands)	₹ 50,000 per brand

Provided that bottling fee shall be leviable on liquor for export as well as on liquor on local consumption, if no franchise fee is levied.

4. In the said rules, in rule 27, for clause (i),-

for the word and figure "10,000", the sign and figure "₹ 25,000" shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 27-A,-

(i) in sub-rule (1), for clauses (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(iii) (a) The fee for license in form L-10B obtained by L-2 licensee Located in shopping malls. ₹7,50,000

(b) The fee for license in form L-10B located in departmental sotres in the shopping malls. ₹15,00,000

(iv) for a license in form L-10C ₹10,00,000

(v) for a license in form L-10E ₹6,00,000

6. In the said rules, in rule 31-A, for the figure "200", the figure "300" shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 36-A-,

(i) for the words "vends/ group of vends" whereever accruing the words "zone of vends" shall be substituted.

(ii) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The allotment of retail outlets of country liquor and Indian Made Foreign Liquor shall be grouped into Zones in urban and rural areas through e-tendering. The Command area of a Zone shall be the geographically area specified for the Zone in the Excise Arrangements . The Command area for a Zone shall include both urban and rural areas. The licensee shall have the flexibility to decide the type of vend *i.e.* Country Liquor only or Indian Made Foreign Liquor only or both Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor. The overall limit shall be of six (06) retail vends, and shall locate his vends at any place within the command area of the Zone with prior approval of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district. The licensee shall also decide the proportionate quota for each individual vend for Country Liquor/ Indian Made Foreign Liquor as the case may be. The process of allotment shall be conducted by a committee consisting of the Deputy Commissioner with Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the respective districts as its members in the presence of the participants who wish to be present on the date of evaluation of e-bids to be published by the department in the newspapers. The allotment of Zone of vends shall be done by way of inviting e-bids.

In case of cancellation of a license, the process of re-allotment shall be initiated by inviting e-bids through advertisement immediately. The reserve price for re-allotment shall be computed proportionately for the remaining period for which the Zone of vends is to be re-allotted using the original license fee. In case no bid is received, the reserve price shall be further reduced by 10 % of the above mentioned original reserve price or Rs. 50 lac, whichever is lower and the process of inviting e-bids shall be repeated till the Zone of vends is re-allotted. This re-allotment shall be done at the risk and cost of original licensee.".

(iii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) Each bidder shall have to furnish the earnest money alongwith his bids. The Earnest Money shall be payable in the form of bank drafts only. The bank drafts shall be payable in favour of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana, Panchkula. The amount of Earnest Money shall be as under:-

Sr. No.	Reserve Price of Zone	Earnest Money
(i)	Less than ₹ 5 Crore	₹ 20 lakh
(ii)	₹ 5 Crore & above but less than ₹ 10 Crore	₹ 40 lakh
(iii)	₹ 10 Crore & above but less than ₹ 25 Crore	₹ 60 lakh
(iv)	₹ 25 Crore & above	₹ 80 lakh

(iv) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) The bidder shall have to deposit a participation fee of ₹ 60,000 for each Zone. The participation fee is non refundable and non adjustable. The participation fee shall be deposited in the Office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned either in cash or by demand draft in favour of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) .".

(v) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) The district wise excise arrangements of Zones of vends shall be displayed in the offices of the Deputy Commissioner, Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) and Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the concerned district, Joint Excise and Taxation Commissioner (Range) concerned as well as on the website of the Department www.haryanatax.gov.in. on the previous day of the date of allotment during the first tender process. If more than one round of tender is required, then it would be sufficient to display the excise arrangements of Zone wise bidders before the stipulated time for evaluation of tenders.".

(vi) In sub-rule (17), the following words shall be added at end, namely :-

"The licensee shall also be allowed to transfer his quota after paying the transfer fee of ₹ 3.00 per Proof Litre for Country Liquor and ₹ 6.00 per Proof Litre for Indian made foreign liquor which shall be payable by the transferor licensee at the time of making such request for transfer of quota".

(vii) for sub-rule (19), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(19) No person to whom a license for retail liquor outlet is granted shall establish the same on such premises as is situated at a distance of less than 150 meters from the main gate of a recognized school/ college/main bus stand and a place of worship. However, Excise Commissioner can relax such distance for the location of retail liquor outlet for 150 meters to 75 meters on the recommendations of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). Further, in urban areas, the retail liquor outlets shall be located in the market places. However, this provision shall not apply in such cases where a new recognized school/college/main bus stand or a place of worship comes up with a distance of 150 meters during the currency of the year subsequent to the establishment of vend in the year 2017-2018.".

(viii) for sub-rule (21), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(21) No compensation of any kind or relief in license fee on account of natural calamity such as fire, floods, drought, earthquake etc. or on account of riots or as result of preventive closure ordered by the District Magistrate or as a result of any remission by a court order beyond the specific relief given, shall be admissible to the licensee.".

(ix) for sub- rule (22), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(22) The Excise and Taxation Department shall offer some locations to the licensees for setting up liquor vends having high revenue potential in Haryana Urban Development Authority Area, land of Haryana Tourism Corporation/Urban Local Bodies. However, the rent thereof, as decided by the respective Department, shall be paid by the licensees to the Department. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall monitor and ensure its compliance on a quarterly basis. However, in case of Haryana Tourism Complexes, only L-2 vends will be allowed. No Anumat Kaksh will be allowed with the L-2 vends in the tourist complexes.".

(x) for sub- rule (24) to (27), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(24) Some retail vends of Indian Made Foreign Liquor (L-2) in the posh markets or Shopping Malls of the Urban Areas shall be identified and to be allotted as Modem shops. The Modern Shops shall be identified by the department, keeping in view the clientele and potential of the area. The modern shops shall have a separate section for Indian Foreign Liquor (BIO). The modern shops shall be entitled to lift an additional quota upto 10% of his basic quota without any additional excise duty i.e. at the rate of excise duty as is applicable to basic quota i.e. from the slab of 50% additional quota:

Provided that the provision of machine generated invoices (POS) shall be mandatory for all the retail licensees to issue an invoice where the total sale price of liquor exceeds ₹ 1,000. In case the total sale price of liquor is less than ₹ 1,000, the licensee shall issue an invoice if so demanded by the customer. In case of violation of this provision, a penalty of ₹ 500 per incident shall be imposed on the licensee, after enquiry by the Deputy Excise & Taxation Commissioner (Excise) concerned. It is provided further that if any L-2 Licensee in urban areas having license fee equal to or above ₹ 2 crore, wants to convert his vend into a Modern shop after allotment of vends, he may be allowed to do so with the approval of the Department. Such applications may be examined and considered for approval by a committee comprising of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) and two senior most Excise and Taxation Officers of the district.".

"(25) Every successful allottee of retail Zone of vends shall be required to deposit a security amount equal to 21% of the annual license fee of the Zone of vends, out of which, 5% of the license fee shall be deposited on the day of evaluation of e-bids; 5% of the license fee within seven days of the allotment on or before 31st March, whichever is earlier ; and the remaining security equal to 11% of the license fee shall be deposited by 7th of April, 2017. The 82% of his bid money shall be payable by him in ten equal monthly installments equal to 8.2% of his bid money; each payable by 20th of each month starting from the month of commencement of his operation of vends in their Zones, and every subsequent month. The payment shall continue till full amount of 82% is paid by the licensee by way of monthly installments. A part of his security, equal to 18% of his bid money, shall be adjusted at the end towards his license fee after the payment of installments amounting to 82% of his bid money. The adjustment shall be made over a period of two months in two equal installments; each equal to 9 % of his bid money.

"(26) The balance security equal to 3 % of his bid money shall be refunded after adjusting any amount found outstanding or unpaid towards him by the 15th April, 2018. This amount shall be refunded by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the District. No interest of any kind shall be

payable on the security amount If an allottee/ licensee fails to make the full payment of security in the prescribed time, his license shall be cancelled automatically and security deposited, if any, forfeited. In case of failure to adhere to the prescribed time for payment of any of the ten installments, interests on late payment shall be charged from the first day of the month of default till the date of payment @ 18% per annum.

"(27) In case of Zone of vends which are allotted/re-allotted during the currency of the financial year, the security equal to 10% of bid money shall be deposited on the day of allotment and remaining security equal to 11% of bid money shall be deposited within ten days of the date of allotment. The Zone of vends shall come into operation from the day following the date of allotment/re-allotment. The license fee for the month in which the allotment/re-allotment is made shall be payable by the end of the month, in proportion to the remaining days of that month. The remaining amount out of 82% of the license fee shall be payable upto January in equal monthly installments. Thereafter, his security shall be adjusted as in case of other allotments.

In case the allotment or re-allotment takes place after December, 2017, the 82% of his bid money shall be recovered upto the last date of month in which it is allotted/re-allotted. The installment for the month of allotment/re-allotment shall be computed treating it as a full month.

The date of payment for the month of allotment/re-allotment shall be 20th if allotment takes place before 20th or the last day of the month if allotment takes place on or after 20lh. No interest shall be payable on the security amount.".

8. In the said rules, in rule 37, in sub–rule (32), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iv) The stock transfer fee shall be levied at the rate ₹6.00 per proof litre for country liquor, ₹ 12 per proof liter for all brands of Indian Made Foreign Liquor and ₹ 10 for beer per bulk litre."

9. In the said rules, in rule 38, in sub rule (16A),-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) No new vend or sub vend of any other licensee shall be located within 2.5 Kilo meters between the command area of the Zone for both rural and urban areas. For urban areas, upto two sub-vends per Zone shall be allowed subject to the prior approval of the Deputy Excise & Taxation Commissioner (Excise). The sub-vend shall be preferably located in the "Phirni" of the village.

(ii) for clause (aa) the following clause shall be substituted namely :-

"(aa) No license for sale of liquor shall be granted to a shop that is :

(i) visible from a National or State Highway;

(ii) directly accessible from a National or State Highway; and

(iii) situated within a distance of 500 meters of the outer edge of the National or State Highway or of a service lane along the highway.

The above provisions are in compliance of and to give effect to the directions of the Supreme Court in Civil Appeal No. 12168 of 2016.

The liquor vends which are not located on National/State Highways or the service lanes running along such Highways, shall comply with the provisions of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (41 of 1963) or any other law applicable.

Note: It shall be the responsibility of the Deputy Excise & Taxation Commissioner (Excise) of the district concerned to ensure the strict compliance of the above stipulated restrictions.

(iii) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

"(g) (a) For opening a sub-vend, the licensee shall have to obtain a license in form L-14A, L-2/SV on payment of fixed annual fee of ₹ 1,25,000/- per sub-vend in rural areas except as per para (e) mentioned below. Sub-vends in urban areas shall be allowed on the payment of fixed license fee of ₹ 10,00,000/- per sub-vend. Sub-vends shall be allowed within the command area of the Zone for both rural and urban areas. For urban areas, upto two sub-vends per Zone shall be allowed, subject to the prior approval of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). For sub-vends in rural areas, the provisions shall be applied as per para (b), (c), (d) and (e) mentioned below.

(b) Sub-vends shall be allowed for each Gram Panchayat with a population more than 1000 (as per 2011 census).

(c) Sub-vends for a Gram Panchayat having population less than 1000 (as per 2011 census), shall be allowed with the consent of the Gram Panchayat, by the Collector (Excise), on the recommendation of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise).

(d) A sub-vend shall be allowed in a Gram Panchayat where the main vend is located, if the population of such Gram Panchayat is more than 5000 (as per 2011 census).

(e) The fee for a sub vend located in a Gram Panchayat having population less than 2000 (as per 2011 census) shall be ₹50,000 per sub-vend.”.

SHYAMAL MISRA,
Exercise and Taxation Commissioner,
Haryana.

55187—C.S.—H.G.P., Chd.